19

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेष, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 770–तीन/02 एवं 771–तीन/02 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–01 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 165/2000–2001/अपील एवं 167/2000–01/अपील.

निग0 770–तीन/02

मोहम्मद अजहर पुत्र श्री हसन
निवासी श्योपुर तहसील
व जिला श्योपुर म0प्र0 ——— आवेदक

विरूद्ध

फातमबाई बेवा फजल मोहम्मद
निवासी श्योपुर तहसील
व जिला श्योपुर म0प्र0 ——— अनावेदक

निग0 771–तीन/02

1– हसन मोहम्मद पुत्र श्री मोहम्मद
निवासी श्योपुर
तहसील व जिला श्योपुर म0प्र0
2– मोहम्मद अजहर पुत्र श्री हसन
निवासी श्योपुर तहसील
व जिला श्योपुर म0प्र0 ——— आवेदकगण

विरूद्ध

फातमबाई बेवा फजल मोहम्मद
निवासी श्योपुर तहसील
व जिला श्योपुर म0प्र0 ——— अनावेदक

श्री एस0 के0 अवस्थी अभिभाषक, आवेदकगण.
श्री एस0 के0 वाजपेई, अभिभाषक, अनावेदक.

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5-12-2016 को पारित)

ये दोनों निगरानियां अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कम्रमांक 165/2000–01/अपील एवं 167/2000–01/अपील में पारित आदेश दिनांक 31–12–01 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई हैं । दोनों प्रकरणों के तथ्य एक समान होने, पक्षकार लगभग समान होने के कारण इन दोनों प्रकरणों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि राजस्व निरीक्षक ने नामांतरण करने में कोई त्रुटि नहीं की है । विचारण न्यायालय ने वसीयत नामा पेश न होने संबंधी अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष सही नहीं है प्रकरण में मुस्लिम लॉ के अनुसार कार्यवाही होगी और उस लॉ के अनुसार राजस्व निरीक्षक का आदेश कानूनन सही है । वसीयतनामा का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है । उनके द्वारा अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त कर विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया । उनके द्वारा द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश द्वारा सिविल नियमित अपील कमांक 20–ए/2004 में पारित आदेश दिनांक 25–7–05 की प्रति भी पेश की गई है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि दिनांक 15–5–90 को राजस्व निरीक्षक द्वरा वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण आदेश

पारित किया गया है जबकि राजस्व निरीक्षक को केवल अविवादित नामांतरण आदेश पारित करने की अधिकारिता है । स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आदेश पूर्णतः अवैधानिक आदेश होकर क्षेत्राधिकार रहित आदेश है । उक्त आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है औरा ना ही अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त ने कोई न्यायिक त्रुटि की है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर